दिनांक हुक्म	कार्यवाही
12/12	[illegible] अन्य राजस्व लोक अभियान व्यय आपत्ति हटाई" [illegible] पंचायत उपखण्ड में [illegible] प्रार्थी उपस्थित होने के कारण [illegible] पर उपस्थिति सत्य [illegible] किया गया तथा अप्रार्थीगण उपस्थित [illegible] अन्य पक्षकारान की मौजूदगी में सुना गया तथा पत्रावली के अवलोकन में पाया कि मौखिक रिपोर्ट चली बाद मौखिक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौखिक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी [illegible] के खाता सं० 213/409 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा में से खोदकर रास्ता चालताऊ रखा जिस के सुलह वाले में ली खा० सं० 197 रकबा 0.14, 424/196 रकबा 10.01 बीघा में से 2.00 बीघा आराजी का बयान पक्षकारान मौजूदगी होकर प्रार्थीगण का रास्ता यह अप्रार्थी के खेत में से रास्ता चालताऊ की व्यायलेगत रूप से सुनिश्चित / सुलाघाट की कोई भी नहीं आता है प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व्यय खर्चा सहित निरस्त आता है पत्रावली मुताबिक मुकाम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज०)